

सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति

Whistle Blower Policy

<p>कार्यालय के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर खुलासे के लिए लिखित शिकायतें प्राप्त करने और उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार ने कार्यालय आदेश संख्या 04/02/12 दिनांक 13.02.2012 को केंद्रीय सतर्कता आयोग को 'नामित एजेंसी' के रूप में अधिकृत किया है।</p>	<p>The Government of India vide office order No.04/02/12 dated 13.02.2012 has authorized the Central Vigilance Commission as the 'Designated Agency' to receive written complaints for disclosure on any allegation of corruption or misuse of office and recommend appropriate action.</p>
<p>किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी भी अभिकथन पर या जानबूझकर शक्ति के अथवा जानबूझकर विवेकाधिकार के दुरुपयोग के प्रकटन से संबंधित शिकायतों को स्वीकार करने के लिए कोई तंत्र स्थापित करने तथा ऐसे प्रकटन की जांच करने या जांच कराने तथा ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा का तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।</p>	<p>AN ACT to establish a mechanism to receive complaints relating to disclosure on any allegation of corruption or wilful misuse of power or wilful misuse of discretion against any public servant and to inquire or cause an inquiry into such disclosure and to provide adequate safeguards against victimisation of the person making such complaint and for matters connected therewith and incidental thereto.</p>
<p>सीवीसी द्वारा निर्धारित निम्नलिखित दिशानिर्देशों का "सूचना प्रदाता नीति – लोक हित प्रकटन एवं सूचना प्रदाता का संरक्षण" के तहत प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करते समय पालन किया जाएगा:</p>	<p>Following guidelines, as laid down by CVC, will be followed while handling complaints received under "Whistle Blower Policy – Public Interest Disclosure and Protection of Informer":</p>
<p>(1) एनएसएफडीसी, भारत सरकार द्वारा नियुक्त नामित एजेंसी के रूप में, निगम के किसी भी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर लिखित शिकायत या खुलासा प्राप्त करेगा।</p>	<p>NSFDC shall, as the Designated Agency appointed by the Government of India, receive written complaints or disclosure on any allegation of corruption or of misuse of office by any employee of the Corporation.</p>

(2)	नामित एजेंसी शिकायतकर्ता की पहचान का पता लगाएगी, यदि शिकायतकर्ता अनाम है, तो वह मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा।	The Designated Agency will ascertain the identity of the complainant, if the complainant is anonymous, it shall not take any action in the matter.
(3)	शिकायतकर्ता की पहचान का खुलासा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि शिकायतकर्ता ने स्वयं / या तो शिकायत का विवरण सार्वजनिक नहीं किया या किसी अन्य कार्यालय या प्राधिकरण को उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया।	The identity of the complainant will not be revealed unless the complainant himself/herself has made either the details of the complaint public or disclosed his / her identity to any other office or authority.
(4)	भावी रिपोर्ट / जांच के लिए बुलाने के दौरान, एनएसएफडीसी सूचना प्रदाता (मुखबिर) की पहचान का खुलासा नहीं करेगा और साथ ही मुखबिर की पहचान गुप्त रखने के लिए संगठन के संबंधित प्रमुख से अनुरोध करेगा, यदि किसी कारणवश मुखिया की पहचान पता चल जाए।	While calling for further report/ investigation, NSFDC shall not disclose the identity of the informant and also shall request the concerned head of the organization to keep the identity of the informant a secret, if for any reason the head comes to know the identity
(5)	एनएसएफडीसी को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) या केंद्रीय जांच आयोग (सीबीआई) या पुलिस अधिकारियों को कॉल करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, जैसा कि आवश्यक माना जाता है, शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच को पूरा करने के लिए सभी सहायता प्रदान करना।	NSFDC shall be authorized to call upon the CVC or CBI or the police authorities, as considered necessary, to render all assistance to complete the investigation pursuant to the complaint received.

(6)	यदि कोई व्यक्ति, इस आधार पर किसी कार्रवाई से व्यथित है कि वह इस तथ्य के कारण पीड़ित हो रहा है कि उसने शिकायत दर्ज की या खुलासा किया है, तो वह एनएसएफडीसी के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकता है, जिसमें एनएसएडीसी इस मामले में संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण को निवारण की मांग के लिए निर्देश दे सकता है।	If any, person is aggrieved by any action on the ground that he is being victimized due to the fact that he had filed a complaint or disclosure, he may file an application before NSFDC seeking redress in the matter wherein NSFDC may give suitable directions to the concerned person or the authority.
(7)	यदि एनएसएफडीसी की राय है कि या तो शिकायतकर्ता या गवाहों को सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वह संबंधित कार्यालयों को उचित निर्देश जारी करेगा।	If NSFDC is of the opinion that either the complainant or the witnesses need protection, it shall issue appropriate directions to the concerned offices.
(8)	यदि एनएसएफडीसी शिकायत को प्रेरित या शिथिल पाता है, तो उसे उचित कदम उठाने की स्वतंत्रता होगी।	In case NSFDC finds the complaint to be motivated or vexatious, it shall be at liberty to take appropriate steps.
(9)	एनएसएफडीसी किसी भी प्रकटीकरण का मनोरंजन या पूछताछ नहीं करेगा जिसके संबंध में लोक सेवक जांच अधिनियम, 1850 के अंतर्गत एक औपचारिक और सार्वजनिक जांच का आदेश दिया गया है, या एक ऐसा मामला जिसे जांच आयोग अधिनियम 1952 के अंतर्गत जांच के लिए भेजा गया है।	NSFDC shall not entertain or inquire into any disclosure in respect of which a formal and public inquiry has been ordered under the Public Servants Inquiries Act, 1850, or a matter that has been referred for inquiry under the Commissions of Inquiry act, 1952.
(10)	एनएसएफडीसी के निर्देशों के बावजूद, मुखबिर की पहचान का पता चलने की स्थिति में, एनएसएफडीसी इस तरह का खुलासा करने वाले व्यक्ति या एजेंसी के खिलाफ मौजूदा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत है।	In the event of the identity of the informant being disclosed in spite of NSFDC's directions to the contrary, NSFDC is authorized to initiate appropriate action as per extant regulations against the person or agency making such disclosure.

व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत शिकायत दर्ज करते समय देखे जाने वाले तरीके:	Modalities to be observed while lodging complaints under Whistle Blower Policy:
इस नीति के तहत की जाने वाली कोई भी शिकायत के लिए निम्नलिखित पहलुओं का पालन करना चाहिए: -	Any complaint which is to be made under this policy should comply with the following aspects:-
(i) शिकायत एक बंद / सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए और उसे सीधे अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनएसएफडीसी, स्कोप मीनार, कोर 1 और 2, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110 092 पर भेजा जाना चाहिए।	The complaint should be in a closed / secured envelope and must be sent directly to the Chairman-cum-Managing Director, NSFDC, SCOPE Minar, Core 1 & 2, Laxmi Nagar District Centre, Laxmi Nagar, Delhi – 110 092.
(ii) लिफाफे को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनएसएफडीसी को संबोधित किया जाना चाहिए और "लोकहित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" को सुपर-स्क्रिब किया जाना चाहिए। यदि लिफाफा सुपर-स्क्राइब और बंद नहीं है, तो एनएसएफडीसी के लिए उपरोक्त प्रस्ताव के तहत शिकायतकर्ता की सुरक्षा करना संभव नहीं होगा और शिकायत को एनएसएफडीसी की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार निपटाया जाएगा। शिकायतकर्ता को शिकायत के आरंभ या अंत में या संलग्न पत्र में अपना नाम और पता देना चाहिए।	The envelope should be addressed to the Chairman-cum-Managing Director, NSFDC and should be super-scribed "Complaint under the Public Interest Disclosure". If the envelope is not super-scribed and closed, it will not be possible for NSFDC to protect the complainant under the above resolution and the complaint will be dealt with as per the normal complaint policy of NSFDC. The complainant should give his/her name and address in the beginning or end of complaint or in an attached letter.
(iii) एनएसएफडीसी अनाम/छद्म नाम वाली शिकायतों का मनोरंजन नहीं करेगा।	NSFDC will not entertain anonymous /pseudonymous complaints.
(iv) शिकायत के पाठ का सावधानीपूर्वक मसौदा तैयार किया जाना चाहिए ताकि उसकी पहचान के अनुसार कोई विवरण या सुराग न दिया जाए। हालांकि, शिकायत का विवरण विशिष्ट और सत्यापित होना चाहिए।	The text of the complaint should be carefully drafted so as not to give any details or clue as to his/her identity. However, the details of the complaint should be specific and verifiable.

(v)	<p>व्यक्ति की पहचान की रक्षा के लिए, एनएसएफडीसी किसी भी पावती को जारी नहीं करेगा और सीटी-ब्लोअर को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में एनएसएफडीसी के साथ किसी भी अन्य पत्राचार में प्रवेश न करें। एनएसएफडीसी उस मामले के तथ्यों को सत्यापित करने का आश्वासन देता है, यह आवश्यक कार्रवाई करेगा, जैसा कि PIDPI पर भारत सरकार के प्रस्ताव (सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचनादाता का संरक्षण) के तहत प्रदान किया गया है। यदि किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तो एनएसएफडीसी शिकायतकर्ता के संपर्क में रहेगा।</p>	<p>In order to protect identity of the person, NSFDC will not issue any acknowledgement and the whistle-blowers are advised not to enter into any further correspondence with NSFDC in their own interest. NSFDC assures that subject to the facts of the case being verifiable, it will take the necessary action, as provided under the Government of India Resolution on PIDPI (Public Interest Disclosure and Protection of Informer). If any further clarification is required, NSFDC will get in touch with the complainant.</p>
(vi)	<p>एनएसएफडीसी इस संकल्प के तहत शिकायत करने / शिकायत करने वाले शिकायतकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है।</p>	<p>The NSFDC can also take action against complainants making motivated / vexatious complaints under this Resolution.</p>
<p>"व्हिसल ब्लोअर नीति - सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर के संकल्प का संरक्षण (PIDPIR)" के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया</p>		<p>Procedure of Lodging Complaint under "Whistle Blower Policy – Public Interest Disclosure and Protection of Informer's Resolution (PIDPIR)"</p>
<p>"जनहित प्रकटीकरण और सूचना के संरक्षण" संकल्प के तहत शिकायतें केवल पोस्ट द्वारा की जा सकती हैं। लिफाफे को "PIDPI" या "व्हिसल ब्लोअर" लिखा जाना चाहिए। शिकायतकर्ता को पत्र के मुख्य भाग का नाम देने से बचना चाहिए। व्यक्तिगत विवरण को अलग से दिया जाना चाहिए या पत्र के शीर्ष या अंत में दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें आसानी से अवरुद्ध किया जा सके।</p>		<p>Complaints under "Public Interest Disclosure and Protection of Informer" Resolution can be made only by post. The envelope should be superscribed "PIDPI" or "Whistle Blower". The complainant should refrain from giving his name of the body of the letter. The personal details should be separately given or given at the top or end of the letter so that they can be easily blocked out.</p>

<p>यदि किसी व्यक्ति को इस तथ्य के कारण पीड़ित किया जाता है कि उसने व्हिसल ब्लोअर प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज की थी, तो वह एनएसएफडीसी के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकता है, ताकि मामले में उसका निवारण किया जा सके। एनएसएफडीसी तब शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए उपयुक्त हस्तक्षेप करेगा।</p>	<p>If any person is victimized due to the fact he had filed a complaint under the Whistle Blower provisions, he may file an application before the NSFDC seeking redressal in the matter. NSFDC would then intervene suitably to protect the complainant.</p>
<p>व्हिसल ब्लोअर शिकायतें - सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर के संरक्षण का संरक्षण (PIDPR)</p>	<p>Whistle Blower Complaints – Public Interest Disclosure and Protection of Informer’s Resolution (PIDPR)</p>
<p>यदि भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करते समय कोई शिकायतकर्ता चाहता है कि उसकी पहचान गुप्त रखी जाए, तो उसे लोकहित प्रकटीकरण और सूचनात्मक संकल्प संरक्षण (PIDPIR) के तहत एक शिकायत दर्ज करनी चाहिए - जिसे मुख्य रूप से व्हिसल ब्लोअर संशोधन आयोग के रूप में जाना जाता है। शिकायतकर्ता की पहचान की गोपनीयता लेकिन किसी भी शारीरिक खतरे, उत्पीड़न या उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करना।</p>	<p>If a complainant while exposing a case of corruption wants his identity to be kept secret, he/she should lodge a complaint under Public Interest Disclosure and Protection of Informers Resolution (PIDPIR) - popularly known as Whistle Blower Provision Commission is mandated not only to maintain the secrecy of the complainant’s identity but also provide protection to the complainant against any physical threat, harassment or victimization.</p>